तारीख हुक्म	**FORM No. III** Crim - 1 फर्द अहकाम (नियम 15) हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज अज अदालत :– जिला कलक्टर, धौलपुर (राज0) **आरिफ खांन बनाम लोक सूचना अधि0 (अति0जिला कलक्टर धौलपुर)** प्रथम अपील, (मु0संख्या 44 / 2022) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2022 / 86)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
03.01.2023	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्तुत की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः प्रथम अपील / आरटीआई / 2022 / 676 दिनांक 27.12.2022 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी,रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना हेतु अपीलार्थी का आवेदन कार्यालय के पत्र कमांक / संपर्क / सू.अ. / 2022 / 638 दिनांक 25.11.2022 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आवेदन स्थानान्तरित कर प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख कलेक्ट्रेट धौलपुर को भिजवा दिया गया है। प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख कलेक्ट्रेट धौलपुर ने अपने पत्र कमांक भू–अ. / स्था. / सू.अ. 2005 / 2022 / 5642 दिनांक 02.12.2022 से अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया है जिसके पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। प्रथम अपील के सम्बध में प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख कलेक्ट्रेट धौलपुर ने अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना से सम्बधित मूल पत्रावली उनके कार्यालय के पत्र कमांक 2689 दिनांक 24.06.2019 के द्वारा न्यायालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर को भेजी गई है जिसके कारण अपीलार्थी को सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अतः हमने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर एंव प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख कलेक्ट्रेट धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी / रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना से सम्बधित मूल पत्रावली प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख कलेक्ट्रेट धौलपुर के पत्र कमांक 2689 दिनांक 24.06.2019 के द्वारा न्यायालय भ्रष्टाचार	

	निरोधक ब्यूरो भरतपुर को भेजी गई है जिसके कारण अपीलार्थी को सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी न्यायालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर में आवेदन कर नियमानुसार वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबधित मूल पत्रावली भू–अभिलेख अनुभाग में उपलब्ध नहीं होने के कारण सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अतः अपीलार्थी की यह प्रथम अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। (अनिल कुमार अग्रवाल) जिला कलक्टर 3/1/23	